

भाग III

संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	14	नहीं। (प्रकरण 40 हे. से कम होने के कारण मुख्य वन संरक्षक का स्थल निरीक्षण आवश्यक नहीं है)
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	पूर्व छिंदवाड़ा वनमंल अंतर्गत तंसरा-नोनीछापर मार्ग रकबा 3.082 हे. का आवेदक कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 छिंदवाड़ा का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के निमित्त प्रावधानों के तहत अनुशंसा की जाती है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
 11/11/22 छिंदवाड़ा वनवृत्त